

AD Reg-1

Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिवद्ध

सेवा में,

1. सयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीओ/आईटीओ, रोहतक।
2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (हरियाणा राज्य में)।
3. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), (हरियाणा राज्य में)।
4. सभी प्रधानाचार्य, प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/(हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांक: T-4/PMS/SC/UID 2016/
दिनांक:

Subject:- Direct Benefit Transfer (DBT) the bank accounts of the scholarship holders will also have to be seeded with Aadhaar number.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको निर्देश दिए जाते हैं कि भेजी जा रही हिदायतों के अनुसार सभी संस्थानों में Direct Benefit Transfer (DBT) स्कीम को पूर्ण रूप कार्यान्वित के लिये वर्ष 2016-17 के दाखिले अनुसार छात्रवृत्ति के पात्र सभी छात्र/छात्राओं के आधार सीडिंग/बैंक सीडिंग करवाएँ। हिदायतों की दृढ़ता से पालना करना सुनिश्चित करें अन्यथा संस्थान का मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा।

संलग्न:-उपरोक्त।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पू० क्रमांक T-4/PMS/SC/UID 2016/ 4827

दिनांक: 27/7/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है:-

1. Joint Secretary, Government of India, Department of School Education & Literacy Ministry of Human Resource Development, 124 'C' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110001 के पत्र D.O.No 8-5/2016-SS दिनांक 13-7-2016 के सन्दर्भ में।
2. Dy Director, UIDAI, RO, SCO-139-141, Sector -17, Chandigarh.
3. Central D.D.O.P.M.S/Dy. Director(Acct.) H.Q
4. Joint Director (Audit & Planning).
5. जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपने-2 जिले के राजकीय/प्राइवेट संस्थानों के लिये जिला उपायुक्त से सम्पर्क करके जिला स्तर के संस्थानों में आधार शिविर लगवाकर छात्रवृत्ति के पात्र सभी छात्र/छात्राओं के आधार सीडिंग/बैंक सीडिंग करवाना सुनिश्चित करवाएँगे तथा अपने-2 जिले की आधार सिडिंग की रिपोर्ट निदेशालय पर ई0मे0आई0डी0 adtpms1@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे, भेजी जा रही उक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी संस्थान का मुखिया/जिला स्तर का प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी भेजी गई हिदायतों की दृढ़ता से पालना नहीं करता तो वह इस अनियमता के लिये स्वयं जिम्मेवार होंगे।
6. नोडल अधिकारी बैवसाईट (मुख्यालय) व बैसाईट पर डालने हेतु।
7. उप-निदेशक (प्रशिक्षण-4)।

Mansipaini
26/7/16

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।